भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 33
दिनांक 02 **फरवरी**, 2023

हानिकारक गैस उत्सर्जन

33. **श्रीमती रंजनबेन भट्ट**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हानिकारक गैस उत्सर्जन को रोकने/समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मामले में कोई कदम उठाए हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क) से (घ): सरकार ने हानिकारक गैस उत्सर्जनों को नियंत्रित करने/समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस दिशा में उठाए गए/उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अप्रैल, 2018 से और देश के शेष हिस्सों में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से ईंधन और वाहनों के लिए बीएस-IV से बीएस-VI मानकों का कार्यान्वयन।
ii. दिल्ली और एनसीआर में 10 वर्षों से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों तथा 15 वर्षों से अधिक पुराने सभी पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध (माननीय उच्चतम न्यायालय का दिनांक 29.10.2018 का आदेश)
iii. संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), एलपीजी जैसे स्वच्छ/वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग शुरू करना और पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण।
iv. अप्रैल, 2020 से पूरे देश में बीएस-VI अनुपालक वाहनों का प्रयोग शुरू करना।
v. संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्रों की स्थापना करने और ऑटोमॉटिव ईंधनों के प्रयोग हेतु बाजार में सीबीजी उपलब्ध करवाने की एक पहल के रूप में किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) की शुरूआत।
vi. थर्मल विद्युत संयंत्रों के लिए एसओ$_2$ एनओ$_{एक्स}$ उत्सर्जन मानकों के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

vii. दिनांक 24 अक्तूबर, 2017 से एनसीआर राज्यों में ईंधन के रूप में पेट कोक और फर्नेस ऑयल के प्रयोग पर प्रतिबंध तथा अनुमत प्रक्रियाओं (सीमेंट संयंत्रों, चूना भट्टों और कैल्शियम कार्बाइड का विनिर्माण करने वाली इकाइयों में प्रक्रियाएं) में किए जाने वाले प्रयोग को छोड़कर दिनांक 26 जुलाई, 2018 से देश में आयातित पेट कोक के प्रयोग पर प्रतिबंध।

viii. औद्योगिक इकाईयों में प्राकृतिक गैस का प्रयोग शुरू करना।

ix. सभी क्षेत्रों में न्यून कार्बन कार्यनीतियां तैयार करना जैसे पुराने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को बंद करना, मानकों का अनुपालन, नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क, शहरी क्षेत्रों में बेहतर विद्युत सुविधाओं पर जोर आदि।

x. अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों जैसी अवसंरचना की स्थापना करना।

xi. बायोमास/कचरे को जलाने पर प्रतिबंध।

xii. दिल्ली में 300 किलोमीटर के परिधि में स्थित कोयला आधारित थर्मल विद्युत संयंत्रों को एनसीआर और इससे लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा दिनांक 17.09.2021 को कोयले के साथ (5-10 प्रतिशत तक) पैलेट आधारित बायोमास, टारीफाइड पैलेटो/ब्रिक्वेटों (धान की ठूंठ पर विशेष जोर देते हुए) को-फायरिंग के लिए निर्देश।

xiii. मैनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क और साथ ही राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) जैसे कार्यक्रमों के तहत सतत निगरानी स्टेशनों का विस्तार।

xiv. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में पूरे देश में वर्ष 2024 तक 10 पीएम और 2.5 माइक्रोंस (पीएम-10 और पीएम-2.5) से कम कंसेन ट्रेशन के पार्टीकुलेट मेटर में 20 से 30 प्रतिशत कमी करने का लक्ष्य रखा गया है।

xv. अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ रसोई ईंधन का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का विस्तार।

xvi. एनसीआर और इसके साथ लगे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा एनसीआर में वायु प्रदूषण में कमी करने के लिए नीति शुरू करने के साथ-साथ और एनसीआर में औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अनुमोदित ईंधनों की मानक सूची तैयार करना।

***